



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 2034/मा०सं०(04)/उनि०लि०/2008-5(17)-मा०सं०(04)/2005

दिनांक 05 नवम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की परियोजनाओं से सेवा निवृत्त एवं वहीं से पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के चिकित्सा उपचार के दावे, सम्बन्धित परियोजना चिकित्सालय के उप मुख्य चिकित्साधिकारी की जाँच के उपरान्त ही, सम्बन्धित पेंशन इकाई, जहाँ से वे कार्मिक पेंशन आहरित करते हैं, द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु निगम मुख्यालय को अग्रसारित किये जायेंगे।

2. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 2034 (1)मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज ता०परि०/पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़) / लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक, पनकी तापीय विद्युत परियोजना/नवीनकरण एवं आधुनिकीकरण/वित्त/लेखा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, पनकी (कानपुर)/लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम)/(औद्योगिक सम्बन्ध/रिफार्म), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
6. उप महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
7. उप मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/हरदुआगंज, कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
8. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (सर्तकता एवं जाँच), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।

आज्ञा से,

(Handwritten Signature)

(सतीश चन्द्र खरे)

अनुसचिव (मा०सं०-04)